लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2001
विषय: नगर क्षेत्र में कृषि भूमि की दरें कम होने के कारण बैनाम पर होने वाले स्टाम्प शुल्क की क्षमता रोकने के

शासन के संज्ञान में समय-समय पर कई ऐसे प्रकार आये हैं, जिनमें नगर क्षेत्रों में आबादी के आस पास स्थित खाली भूमि को कृषि भूमि दिखाकर अन्य भूमि कम दर पर बैनामा कराए गए और इस प्रकार वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम दर पर स्टाम्प शुल्क देकर करापंचन किया गया। ऐसे मामलों में यह देखा गया है कि कलेक्टर दुर्गा नगर क्षेत्र के लिए निर्धारित सत्कर रेट में कृषि भूमि की दरें आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि की दरों की तुलना में काफी कम दिखाई गई जिससे उप निवन्धकों तथा कलेक्टर दुर्गा कमी स्टाम्प वसूलने की कार्यवाही नहीं की गई।

2. उपरोक्त को देखते हुए यह कहने का निदेश मिला है कि नगर क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि अथवा खाली पड़ी भूमि की दरें, उनके आस-पास स्थित आवासीय/आदुश्योग/ व्यवसायिक भूमि की दरों को देखते हुए ही निर्धारित की जाय अथवा यह प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आस-पास की आवासीय/आदुश्योग/व्यवसायिक भूमि का प्रति एकड़ जो मूल्य आता है, सम्बन्धित कृषि भूमि अथवा खाली पड़ी भूमि का भी मूल्य प्रति एकड़ उसके आस-पास ही रहा जाना चाहिए क्योंकि वास्तव बाजार में दोनों प्रकार की भूमि के मूल्य में कोई बड़ा अंतर नहीं आता है। यीन बे लट में स्थित कृषि भूमि की दरें कम भी रखी जा सकती है।

3. कृपया उपरोक्त के आधार पर अपने जनपद के नगर क्षेत्रों में कृषि भूमि की दरों में आवश्यक सुधार करने पर विचार करने का केस्ट करें।

फूटांकन संख्या-क0निरो-5-3303(1)/11-2001, तदिनांक
उपरोक्त की प्रतिलिपि स्टाम्प आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व परिषद,30प्र0,इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आजा से
ह0/-
( यू0के0एस0 चोहान)
विशेष सचिव